12·05 hrs.

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

FIRING BY PAKISTAN FORCES

Mr. Speaker: I have received notice of an adjournment motion and several calling attention notices also on the following subject:

"The immediate need to discuss the alarming news in the *Times of India* dated 18th and 19th March, 1965 regarding firnig by Pakistani armed forces and looting of property in the jurisdiction of the Mekliganj police station in Cooch Behar District."

Does the Minister want to say anything at the moment?

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): It is reported that foreign troops are there.

Mr. Speaker: ..."and the reported presence of foreign troops in the area."

Shri Nath Pai (Rajapur): There is the alarmist cry of the Pakistan Foreign Minister that there is commission of invasion and aggression by India in Dahagram. That is the main point.

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): I have collected some facts. The statement is a little longish one. If you will kindly permit me, I will make a statement in the course of the day giving all the facts and it will be for House to decide.

Mr. Speaker: Shall I take it up at 4 o'clock?

Shri Swaran Singh: It may be taken up at 4·30, Sir.

Mr. Speaker: All right; we will take it up at 4·30.

Shrimati Renu Chakravartty* (Barrackpore): The Pakistan Day parade in Dacca has been cancelled for this very reason, they say. They are mounting a big offensive.

Shri Swaran Singh: The anxiety of the hon. Members in this respect is justified. It is a fact that Pakistan is whipping up a great deal of agitation. We are also seized of the matter. I will place all the facts that are in my possession before the House at 4:30.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): I have also given notice......

Mr. Speaker: I have just put them together.

Shri U. M. Trivedi: You have only referred to one. I have given a special calling attention notice about moment of the Central Reserve Police to check . . .

Mr. Speaker: When there is an adjournment motion, I can only mention that and not others. There are more than a dozen others tied up with that.

12.07 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DEMOLITION OF JHUGGIES IN JAMUNA BAZAR, DELHI

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"13 मार्च, 1965 को जमुना बाजार, दिल्ली की झुग्गियों के क्रूरता से गिराये जाने, जिस के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।"

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): There were about 2,000 unauthorised huts in

the Jamuna Bazar area on land belonging to the Delhi Development Authority. A 36" pipe line was to be laid through this land for supplying water from the Chandrawal Water Works to colonise in South Delhi and for augmenting the water supply in the walled city and the Hardinge Bridge area. It was found that it was necessary to remove about 144 huts before the work of laying the pipe line could be undertaken. The removal of these 144 huts was postponed during the winter season to avoid hardship to the hut dwellers. With the approach of summer it became a matter of urgency to start work on the water supply project and it was, therefore, decided to remove these 144 huts on the 13th March 1965, under the Jhuggis and Jhopris Removal Scheme.

2. Shortly after the commencement of the clearance operations the hut dwellers requested that they may be allowed to demolish their huts themselves and shift to a vacant piece of land in the near vicinity. The authorities engaged on the clearance operations acceded to this request, but only about half a dozen of the squatters started moving to that site voluntarily. Amongst them was one Shri Manphool Singh who began carrying his dismantled tin shed to the alternative site himself. While doing so he stumbled and fell. His death is stated to have been caused by heart failure as known from the *post-mortem* report.

3. Out of the 144 hut dwellers removed from the area, 70 turned up later to accept allotment slips for alternative accommodation offered to them. These 70 squatters have been allotted camping sites of 25 square yards each in Seelampur (32) and Wazirpur (38) under the Jhuggi and Jhopri Scheme.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) क्या सरकार बता सकती है कि क्या उन अधिकारियों को, जो झुग्गी-झोंपड़ी वालों को हटा रहे थे, यह अधिकार दिया गया था कि जो वे उन लोगों पर सख्ती करें, उन पर गोली चलायें और उन की मृत्यु का कारण बनें; अगर नहीं, तो जिन अधिकारियों की सख्ती की वजह से मनफूल सिंह की मृत्यु हुई है, उन को क्या दंड दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस किस्म के अख्त्यार न कभी दिए गये हैं और न दिये हैं और न दिये जायेंगे। हम इस प्राबलम को बड़ी हमदर्दी से सम्भाल रहे हैं। आज तक पन्द्रह हजार परिवारों को हम ने जगह दी है और अब भी उन को ले जा रहे हैं। आज दिल्ली में हालत यह है कि यहां पर पानी की कमी है और चन्द्रावल वाटर वर्क्स से दस मिलियन गैलन पानी हर रोज मिल सकता है, जिस के लिए वहां पर पाइप लाइन बिछाना जरूरी है। हम वहां की दो हजार फैमिलीज में से सिर्फ 144 फैमिलीज को हटाना चाहते थे।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : यह झुग्गियां तोड़ने का काम करीब एक महीने से ज्यादा से चल रहा है और मोती पहाड़ी, पूसा रोड तथा जमुना बाजार आदि कई इलाकों में झुग्गियां तोड़ी गयी हैं। जहां पर उन लोगों को बसाया गया है, वहां उन को केवल 25 गज के प्लाट दिये गये हैं। उसके साथ यह शर्त भी लगाई गई है कि उन को केवल दस महीने के लिए वे प्लाट दिये गए हैं। इस के अलावा इन झुग्गियों को तोड़ने में एक नहीं बल्कि तीन मृत्युएं हुई हैं पुलिस के दमन और मारपीट के कारण। क्या सरकार को सदन को यह विश्वास दिलायेगी कि इस प्रकार की मारपीट नहीं होगी और उन लोगों को हमेशा के लिए वहां पर रहने दिया जायेगा ? जो लोग रेलवे की जमीन पर बसे हुए हैं, क्या उन को भी कोई जमीन देने का सरकार का विचार है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जब तीन चार बरस पहले इस सिलसिले में मर्दुम-शुमारी की गई तो ऐसे कुनबे 25, 30 हजार थे। दो बरस बाद उन की तादाद 50 हजार हो गई और आज ऐसे कुनबों की तादाद कोई 60, 70 हजार है। जिस तरीके से बाहर के लोग यहां आ कर नाजायज कब्जा कर रहे हैं—उन को हटाने के लिए मैं कोई सख्ती नहीं करना चाहता, प्यार से काम करना चाहता हूं— अगर हम ने यहां की स्लम्ज़ साफ़ करनी हैं, तो उन लोगों को हटाना पड़ेगा। इस बारे में पुलिस कोई जबर्दस्ती नहीं कर रही है। मेरे ख़याल में उस पर यह दोष लगाना नाजायज़ है। जो लोग जायज़ स्क्वैटर्ज हैं, जो 1960 से पहले के बसे हुए हैं, हम उन को अस्सी गज और बाकी को 25 गज जमीन देंगे।

एक और बात मैं इस ऐवान की ख़िदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं। यह कभी नहीं सोचा जाता है कि जिस ज़मींदार की ज़मीन मैं ले रहा हूं, उस बेचारे की क्या हालत होगी। हज़ारों एकड़ जमीन मैं ने ले ली है। वे बेचारे बहुत दुखी हैं। जिन लफ़्ज़ों से वे मुझे याद करते हैं, वह मैं यहां नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन मुझे उन के मुताल्लिक भी बहुत चिन्ता हो रही है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उन लोगों को दस महीने के लिए बसाया जा रहा है। क्या उन को लम्बे अरसे के लिए—हमेशा के लिए—नहीं बसाया जा सकता है? जो लोग रेलवे की ज़मीन पर बसे हुए हैं, क्या उन को भी कोई जमीन देने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : हमेशा के लिए नहीं बसाया जा सकता है।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करोल बाग): क्या यह सत्य है कि जो 144 परिवार हटाए गए हैं, उन में सात महिलायें ऐसी हैं, जिन को तीन दिन पहले प्रसव हुआ था—जिन के पास तीन दिन के बच्चे थे, लेकिन उन को भी हटा दिया गया?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरा ख़याल है कि माननीय सदस्य मोती पहाड़ी और इस मामले को मिला रहे हैं।

श्री नवल प्रभाकर : मैं जमुना बाज़ार की बात कह रहा हूं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जमुना बाज़ार में पोज़ीशन यह है कि 144 कुनबे हटाए जाने थे। कोई एक महीना पहले उन्हों ने कहा था कि वे खुद चले जायेंगे, लेकिन वे नहीं गए। उन्होंने यह भी था कि हम को साथ की ज़मीन दी जाये और हम ने वह बात भी मान ली। माननीय सदस्य ने जो कहा है, मुझे उस का इल्म नहीं है, लेकिन अगर मेरी कोई बहन गर्भवती हो और मुझे बताया जाये, तो मैं यह हुक्म देने के लिए तैयार हुं कि ऐसी हालत में उस को वहां से न हटाया जाये।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Sir, I have seen with my own eyes how even women who had given birth to babies the night before were asked to shift and their houses were pulled down. May I know why it is that the Delhi Development Authority did not see it fit to build up some tenements for the poorest of the poor who want to stay in the city for their livelihood? Why was it not possible for the authorities to give them some alternative tents for the laying of the pipe line? Actually, the jhuggies and jhopris were pulled down, but the pucca building of Dharma Singh Hostel which also is in that alignment has not been touched. May I know the reason for it?

Shri Mehr Chand Khanna: The hon. Lady Member has visited the site. So Have I. I have also seen these things with my own eyes. Sir, if you like, I can lay the plan before the House. It will show that there is a long line and we are touching only those tenements or hutments which come within the direct vicinity of that line. That is the first point. Secondly, as far as that particular house is concerned, I

have made enquiries and I am told that it is outside the alignment of the 36 inch......

Shrimati Renu Chakravartty: It is wrong.

Shri Mehr Chand Khanna: I can only state what I have been told. Perhaps I have been told wrongly. I can have this matter verified and I can assure the House and the Lady Member that if that house also comes within that alignment, I am not going to make any distinction between *pucca* houses and *kutcha* houses.

Shrimati Renu Chakravartty: Kutcha houses have ben pulled down while *pucca* houses are permitted to remain in-tact.

Shri Mehr Chand Khanna: I have seen the site myself. The hon. Lady Member went there day before yesterday. I went there yesterday. I have gone there, talked to the people and seen things for myself. I do not shirk my responsibility. We are doing something for the good of the people. If a particular house is standing in the way and that house has to be removed, I shall certainly look into that.

Shrimati Renu Chakravartty: My question was not fully answered. I had also asked why it is that *Adarsh* tenements are not built in that area for the people who will be uprooted instead of asking them to go miles away where they will find it difficult to earn their livelihood?

Shri Mehr Chand Khanna: Certainly, it is a very relevant question. Now, 50,000 families have to be provided with accommodation. In that area where they want to settle, if we develop it in the proper way, not more than a few hundred families can be rehabilitated. According to the policy decision of Government, a copy of which I have placed on the Table of the House, we are going to build and develop these colonies on the periphery of Delhi. To those who are eligible we will give 80 sq. yards, or a tenement. To those who are not eligible, we cannot encourage them to occupy lands but I have promised them 25 sq. yards. In fact, I have gone out of my way in doing that.

श्री बागड़ी (हिसार) : बर्तानिया की महारानी का महल दस एकड़ की जगह में है, अमरीका के प्रैजिडेंट के रहने का मकान आठ, दस एकड़ जमीन पर है और इसी तरह दूसरे मुल्कों के राष्ट्रपतियों के मकान पांच छः एकड़ जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली में, जहां रहने के मकानों की कमी है, राष्ट्रपति भवन बारह हजार एकड़ जमीन पर और इसी तरह मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के मकान भी बड़ी बड़ी जगहों पर बने हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मकानों की दुविधा को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी जगहों को ले कर वहां पर किराये पर देने के लिए छोटे छोटे मकान बनाने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में है, लेकिन माननीय सदस्य ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है।

श्री बागड़ी : झुग्गी-झोंपड़ियों वालों को रोज उठाया जाता है। मेरा सवाल उस से ताल्लुक रखता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जमुना बाजार के बारे में सवाल करें।

श्री बागड़ी : दिल्ली में जगह की जो कमी है, उस को पूरा करने के लिए मैंने यह सवाल पूछा है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह दुरुस्त है कि जो मकान पहले बने थे, उन के साथ बड़े बड़े कम्पाउंड हैं, लेकिन आज हमारा इरादा यह है कि हम दिल्ली को नये तरीके से डेवेलप करें। हम दिल्ली में मल्टी-स्टोरीड कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं और

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

हमारा इरादा यह है कि हम जमीन का इन्टेन्सिव यूज़ करें और आसमान की तरफ जायें। *(Interruptions).*

श्री मौर्य (अलीगढ़) : यह देखा गया है कि दिल्ली में ज्यादातर दफ्तर बनते चले जा रहे हैं, दफ्तरों का निर्माण होता चला जा रहा है। इसी झुग्गी झोंपड़ी वालों की मांगों को ले कर रिपब्लिकन पार्टी ने एक आन्दोलन भी छेड़ा था और उसके सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी से बातचीत भी हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को अस्सी अस्सी गज के प्लाट दिये जायेंगे, ऐसी वार्ता चली थी। अभी जो यहां हार्स रेस का मैदान है, घुड़दौड़ का मैदान है वह बस्ती में आ गया है। अगर किसी को घुड़दौड़ का शौक है तो वह जंगल में जा कर करे। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी योजना है कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को इस तरह के स्थानों में जगह दी जायें और साथ ही इन लोगों के लिये छोटे छोटे हटमेंट्स बनाये जायें?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस वक्त तो हम 3800 टेनेमेंट्स बना रहे हैं। 15 या 16 हजार के करीब हम ने प्लाट भी तैयार किये हैं जिस में अस्सी गज के कोई चार हजार प्लाट हैं और बाकी दस बारह हजार हैं। जिस घुड़दौड़ के मैदान का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे थे, वह मास्टर प्लान के नीचे ग्रीन है और ग्रीन रहेगा और उस में मैं कुछ बना नहीं सकता।

Shri Daji (Indore): Is it a fact that even in the case of alternative plots which are allotted to them, there is no security of tenure and that they can be evicted any moment by the Corporation or by the authorities concerned and that is why they do not want to go there?

Shri Mehr Chand Khanna: That is not correct. As far as those who are pre-census 1960 are concerned, we might give them 25 sq. yards today but they are entitled to 80 sq. yards tomorrow. But as far as those who have come after 1960 are concerned, we propose to give them only 25 sq. yards. These plots will be on a long-term basis and on a rental basis—not on ownership basis—because all our experience of giving plots on ownership basis has been very very disappointing.

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : क्या यह सही है कि इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को जमुना बाजार से हटाने से पहले उनको कोई नोटिस नहीं दिये गये और न ही जहां इनको प्लाट दिये गये हैं वहां जमीन का कोई डिमार्केशन ही किया गया है? मेरी जानकारी में यह भी आया है और मैंने स्वयं भी जा कर देखा है कि वहां पर पुलिस की ज्यादती हुई है और ऐसी ऐसी माताओं को, ऐसी ऐसी देवियों को भी हटाया गया है जिन की गोदियों में दो दो और तीन तीन दिन के बच्चे भी थे। जहां तक मनफूलसिंह की मृत्यु का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि हार्ट फेल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई जो सही नहीं है। उसकी मृत्यु पुलिस की ज्यादती के कारण हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में आप कोई इनक्वायरी करायेंगे।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह तो बहुत लम्बा सवाल हो गया है और मैं भूल गया हूं कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : जिसका आप जवाब देना चाहें दे दें।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक इस इलाके का ताल्लुक है यह मेरी जानकारी में है कि वहां ज्यादा परिवार हैं और हम उनको अगर हटायेंगे तो हर एक को जगह देंगे, जो एलिजिबल हैं। जब हम उनकी मरदुम शुमारी करते हैं तो एक स्लिप देते हैं और उनको यह इल्म रहता है कि हम उनको हटायेंगे। उनको मैंने सर्दियों में इसलिए नहीं हटाया कि माननीय

सदस्य प्रधान मंत्री के पास गये थे और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उनको सर्दियों में न हटाया जाए। उसकी वजह से तीन चार महीने तक मेरा काम रुका रहा। अगर काम को अब भी न किया जाए तो अगर दिल्ली में गर्मियों में पानी की कमी महसूस हुई तो उसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्य की होगी।

श्री बाल्मीकी : इनक्वायरी वाली बात का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल ही इतना लम्बा कर दिया था पहले ही।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर)। दिल्ली को आधुनिक बनाने की योजना से गरीबी का टकराव है। झुग्गी झोंपड़ी वालों की समस्या भी इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास इन सारे झुग्गी वालों के आर्थिक सुधार के लिए तथा उनको अलग मकान बना कर देने की कोई योजना विचाराधीन है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक आखिरी सवाल का ताल्लुक है हमारी इत्तिला यह है कि सब भाई बहनें काम कर रहीं थीं। हम तो उनको जगह दे रहे हैं। प्लाट भी देंगे और टेनेमेंट्स भी देंगे।

श्री बागड़ी : पहले जगह देकर फिर झुग्गी से हटाने की कोई स्कीम है क्या, यह सवाल था।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जगह पहले दी जाती है उनको जो एलिजिबल होते हैं। बगैर जगह दिये नहीं हटाते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम इस में नहीं है और मैं आपको यहां इसको पूछने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। जिस तरह से मैं दूसरे मैम्बरों को देता हूं वैसे ही आपको भी दूंगा।

श्री रामेश्वरानन्द : एक सवाल पूछने की....

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जिन का नाम नहीं था, उनको भी आपने प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : किस को दी है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री बागड़ी को दी है।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम मेरे पास लिखा हुआ है। वह रह गया था और बाद में लिखा गया है। मैंने ऐसे ही किसी को नहीं दी है।

श्री रामेश्वरानन्द : अच्छा तो एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री रामेश्वरानन्द : नियम 376 और उप-नियम दो के आधार पर मैं यह जान सकता हूं, मुझे यह अधिकार प्राप्त है।

दिल्ली में लोग इसलिए आते हैं कि बाहर बहुत बड़ी बेरोजगारी है। यदि सरकार बाहर के देहातों में इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई रोजगार का प्रबन्ध कर दे काम करने का प्रबन्ध कर दे तो उन देहातों से लोग दिल्ली में न आयें और दिल्ली में जो जनसंख्या की वृद्धि का प्रश्न है और जो सिर दर्द पैदा कर रहा है, वह पैदा न हो, वह कम हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में क्या फैसला दूं ?

श्री रामेश्वरानन्द : आप पूछ लें सरकार से कि क्या वह इस बारे में कुछ सोच रही है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न वह उठा सकता है जिसका फैसला स्पीकर को देना हों, न कि सरकार को। क्या मैं गवर्नमेंट से पूछूं कि क्या फैसला दूं ?

श्री रामेश्वरानन्द : सवाल का जवाब सरकार से पूछने का आप को अधिकार है, यह चीज आपके अधिकार-क्षेत्र में आती है।

12.26 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY A MEMBER

Shri Ranga (Chittoor): I wish to express my regret at having given you cause to be pained at my observation 'You need not have stood up' made on Tuesday last on the spur of the moment because of my over-anxiety to persuade you to let Shri Surendranath Dwivedy complete his personal explanation in answer to Shri Khadilkar's attack on him. I wish I had not led myself to say that, as it was not at all my intention to make any observation on you.

Mr. Speaker: I am extremely grateful to Shri Ranga....

Shri Nath Pai (Rajapur): Professor Ranga.

Mr. Speaker: Yes, I am extremely grateful to Professor Ranga,—if he prefers to be called like that—for having considered the advisability to make these observations which he has done. That has touched me very much. But I can assure him that whenever these things happen, I leave them there and never carry them in my mind. I have not carried these things in my mind. I can assure the hon. Member of that.

12.27 hrs.

RE: CALLING-ATTENTION-NOTICE

(*Query*) ..

Mr. Speaker: Papers to be laid on the Table.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): I had put that qeustion about that calling-attention-notice....

Mr. Speaker: That was about this, and they were tied together....

Shri U. M. Trivedi: There was another calling-attention-notice....

Mr. Speaker: The hon. Member can write to me......

Shri U. M. Trivedi: That would make it four days late and make the whole thing delayed. The matter is urgent. The Central Reserve Police has been sent out. And that comes within the powers of the Union Home Ministry. The observance of Holi has been denied to the Hindus in Mandsaur in the whole district not one of them has been allowed to play Holi there. How long can this thing continue?

Mr. Speaker: The hon. Member is the leader of a responsible Group, and he should not take this up in this manner. If he has got anything to say, he may kindly write to me. I am prepared to discuss it with him. I have decided that this cannot be taken up here in this Parliament, because it is a law and order question. I cannot take it up in this Parliament because it is a State matter, even if they have asked for aid from the Central Reserve Police.

12.28 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD. AND REVIEW BY GOVERNMENT THEREOF

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibu-